

आदेश

श्री सुखविन्द्र सिंह पुत्र श्री सतनाम सिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत बीरुवाला गुढा, खण्ड बडागुढा, जिला सिरसा द्वारा सरपंच पद से दिया गया त्याग पत्र दिनांक 03.06.2025 जो उपायुक्त, सिरसा के सिफारिश पत्र क्रमांक 1925/पी0ए0/पंचायत-2025 दिनांक 04.07.2025 सहित प्राप्त हुआ है, को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

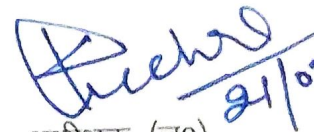
चण्डीगढ़, दिनांक
18-07-2025

दुष्मन्ता कुमार वैहेरा, आई0ए0एस0
महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ0 क्रमांक ई0सी0ए02-2025/ 33739-44 दिनांक : 23/7/25

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन, प्लॉट नं0 2, सैक्टर-17, पंचकूला।
 2. उपायुक्त, सिरसा को उनके सिफारिश पत्र क्रमांक 1925/पी0ए0/पंचायत-2025 दिनांक 04.07.2025 के संदर्भ में।
 3. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, सिरसा।
 4. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बडागुढा (जिला सिरसा)।
 5. श्री सुखविन्द्र सिंह पुत्र श्री सतनाम सिंह, निवासी गांव बीरुवाला गुढा, खण्ड बडागुढा, तहसील व जिला सिरसा।
- आई0टी0 सैल, मुख्यालय।


अधीक्षक (चु0) 21/07/2025

कृते: महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।

Sh. Goring/ Sh. Mohit